प्रेषक,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– समस्त प्राचार्य/उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
3– समस्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांकः गोप/टी0ई0टी0/ 790–99 /2021–22 दिनांक– 12/07/2021

विषयः– उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–392/अरसठ–4–2021–9(16)/2020 दिनांक 16 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 09.06.2021 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुकम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यापी प्रभाव से दिनांक 11.02.2011 के उपरान्त उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रिवैलीडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा लिये गये निर्णय के कम में निर्देशित किया जाता है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वैधता, को "परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी 05 वर्षो के" स्थान पर रिवैलिडेट करते हुए **"आजीवन मान्य"** माना जाय।

उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ0सं0 गोप/टी0ई0टी0/ 790–99 /2021–22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश
3– शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक
4– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसं लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
6– सचिव, माध्यमिक शिक्षा प
7– गार्ड फाइल।

Sarkari kalam.com

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

TET-20

संख्या–392 / अरसठ–4–2021–9(16) / 2020

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2021

विषय:–उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–रा0शै0 / टी0ई0टी0 / 2814–16 / 2021–22 दिनांक 10.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पत्रांक–गोप / टी0ई0टी0 / 506–08 / 2021–22 दिनांक 10.06.2021 संलग्न कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0), नई दिल्ली के पत्र संख्या– NCTE-Regl011/78/2020-US (Regulation)-HQ/99954-99992 दिनांक 09.06.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन मान्य किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2– एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 09.06.2021 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यापी प्रभाव से दिनांक 11.02.2011 के उपरान्त उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रिवैलीडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

No.: CBSE/CTET/2021 Date: 21.06.2021

PUBLIC NOTICE

The National Council for Teacher Education (NCTE) vide letter No. NCTE-Reg1011/78/2020-US(Regulation)-HQ/99954-99992 dated 09.06.2021 has informed that the second sentence of para 11 of its letter no. 76-4/2010/NCTE/Acad. dated 1002/2011 which is "The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment shall be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories." shall be substituted by, "The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment, unless otherwise notified by the appropriate Government, would remain valid for life."

Accordingly, the instructions at serial no. 1 printed on CTET Marks Statement and CTET Eligibility Certificate which is "The validity period of CTET certificate for appointment for all categories will be seven years from the date of issue of marks statement or the validity period of CTET qualifying certificate for all categories will be seven years from the date of issue." are substituted by "The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment, unless otherwise notified by the appropriate Government, would remain valid for life."

Hence, the CBSE shall not issue any revised Marks Statement and CTET Eligibility Certificates pertaining to previous examinations of CTET.

DIRECTOR (CTET)

केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा एकक, पी0 एस0 1–2 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, आई0 पी0 एक्स0 पटपड़गंज, दिल्ली–110092
CTET Unit, PS, 1-2 Institutional Area, I.P. Extension. Patparganj, Delhi-110092
फोन / Telephone:+91-11-22235774, 22247154, 22247176 वेबसाइट Website: www.ctet.nic.in

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक निकाय)

गुरूर्गुरूतमो धाम
NCTE

National Council for Teacher Education
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

F. No.-NCTE-Regl011/78/2020-US(Regulation)-HQ/ 99954 - 99992 **Dated: 09.06.2021**

To,

All Secretaries/Commissioners of Education of State Governments/UTs

Subject- Extension of validity period of Teacher Eligibility Test (TET) Certificate-regarding.

Madam/Sir,

In accordance with the decision of the National Council for Teacher Education in its 50th General Body Meeting and the approval of the MoE *vide* letter No. 21-3/2021-IS.1 dated 7th June, 2021, the second sentence of para 11 of the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test (TET), issued by NCTE vide letter no. 76-4/2010/NCTE/Acad. dated 11/02/2011 which is "*The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories.*" shall be **substituted** by, "***The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment, unless otherwise notified by the appropriate Government, would remain valid for life.***"

2. The other sentences of para 11 remain the same.

3. Since this provision will have retrospective effect from the date of enforcement of TET Guidelines i.e. 11.02.2011, the concerned Body/State Govt./UT is to take necessary action to revalidate/issue fresh TET certificate to those candidates whose period of 7 (seven) years has elapsed.

Yours faithfully

Kesang Y. Sherpa

(Ms. Kesang Yangzom Sherpa, IRS)
Member Secretary

Copy to:-

955

954 i. **PS to SM/MoS (MoE), Shastri Bhawan, New Delhi-110001**

956 ii. **PPS to Secretary (SE&L), MoE, Shastry Bhawan, New Delhi-110001**

957 iii. **Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016**

958 iv. **Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh 201307**

959 v. **Chairman, Central Board of Secondary Education, Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, New Delhi, Delhi 110092**

960 vi. **Chairman, Council for the Indian School Certificate Examinations, Pragati House, 3rd Floor, 47-48, Nehru Place, New Delhi – 110019**

जी–7, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
G-7, Sector -10, Dwarka, New Delhi - 110075
Telephone : +91-11-20892155 / Fax : +91-11-20893270 / Email : ms@ncte-india.org
Website : www.ncte.gov.in